

प्रपत्र—V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर जिला सागर अन्तर्गत कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु वनमण्डल दक्षिण सागर के वन परिक्षेत्र ढाना के वनखण्ड बगदरी के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 920, रकबा 3.60 हेक्टेयर वनभूमि एवं नौरादेही (व.प्रा.) वनमण्डल सागर के परिक्षेत्र मोहली एवं सिंगपुर के आरक्षित वनखण्ड बलेह के आरक्षित क्रमांक 140, 142, 143, 144, 145, 146, 184, 185 रकबा 268.390 हेक्टेयर वनभूमि इस प्रकार कुल 272.00 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, जिला सागर, मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: 01.12.2022

स्थान: भोपाल

✓ 2
11/12/2022

(अतुल कुमार मिश्रा)

सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)